उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

ज्ञापन

क्रमांक B/383/ जबलपुर, दिनांक 19th / जनवरी / 2017
तीन–6–8 / 85

प्रति,

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
.....समस्त (म0प्र0)
2. प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय
..... समस्त (म0प्र0)

विषय :– वर्ष 2017 में नेशनल लोक अदालतों के आयोजन के संबंध में।

– – –

यथानिर्देश उपरोक्त विषयक आपकी ओर सचिव म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, पचपेढ़ी, जबलपुर का पत्र क्र. फा.नं.16 / नेश.लोक. अदा. / राविसेप्रा / 2544 एवं 2545 दिनांक 09.01.2017 संलग्न नालसा ईमेल दिनांक 07.01.2017 में नेशनल लोक अदालतों के आयोजन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

18-01-17
(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (डीई)

पृ.क B/384 जबलपुर, दिनांक 19th / जनवरी / 2017
तीन–6–8 / 85

प्रतिलिपि :– 1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, विन्धयाचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रिंसिपाल रजिस्ट्रार / सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर
3. अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम.....
4. रजिस्ट्रार, औद्योगिक न्यायालय, इंदौर
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (डीई)

:–:

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(574, साउथ सिविल लाईन्स, पचपेढ़ी जबलपुर, 482001)
Off. Ph. 0761-2678352, E-mail:-mplsajab@nic.in, Fax:-0761-2678537

ईमेल

क्र.फा.नं.16/नेश.लोक.अदा/राविसेप्रा/2544/2017 जबलपुर, दिनांक 09/01/2017

प्रति,

जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला न्यायालय परिसर,
समस्त जिला (म0प्र0)

विषयः—वर्ष 2017 में नेशनल लोक अदालतों के आयोजन के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत, **माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली** के निर्देशानुसार **वर्ष 2017 में दो महीने में एक बार** सम्पूर्ण देश के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, नालसा, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No.L/39/2015, NALSA दिनांक 06.01.2017 के अनुसार इस वर्ष 2017 में **पहली नेशनल लोक अदालत** का आयोजन **दिनांक 11 फरवरी 2017 (शनिवार)** को किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एम. ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभो से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जाना है।

अतः **दिनांक 11 फरवरी 2017** को प्रदेश में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा/समझौता योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण तथा लोक अदालत की तैयारी एवं अन्य व्यवस्था हेतु निम्नानुसार बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:—

1. नालसा, नई दिल्ली के पत्र F.No.L/39/2015, NALSA दिनांक 06.01.2017 में दिए गए निर्देश/गाईड लाईन के अनुसार चिन्हित प्रकरणों के निराकरण के लिये यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने हेतु समस्त सर्वसंबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें।
2. लोक अदालत के लिये आप अपने जिले में पदस्थ सभी न्यायिक अधिकारियों की मीटिंग बुलावें तथा समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हित करने के लिये निर्देशित करें।
3. स्थानीय अधिकारियों जिनके प्रकरण लोक अदालत में रखे जाना है, उनकी बैठक आयोजित कर नेशनल लोक अदालत के संबंध में रूपरेखा बनायें एवं निर्देश देवें।

विभिन्न बीमा कम्पनियों के लिये कार्य आवंटन अतिरिक्त जिला जजों को किया जा सकता है ताकि वे सुचारू रूप से उस कंपनी के केसेस को देख सके।

निरंतर..02

Reg No 4346

4. स्थानीय बीमा कंपनियों से सहयोग हेतु चर्चा करें, कि वे लोक अदालत के लिये प्रकरणों में समझौता हेतु अधिकतम राशि के संबंध में अपने वरिष्ठतम अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करें। बीमा कंपनी के सक्षम अधिकारियों/अधिवक्ताओं से दो या तीन प्रीसिंटिग की जावे।

5. सभी स्थानों पर बीमा कंपनी के अधिकारी एक ही दिन उपस्थित नहीं हो सकते है इसके लिये विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर प्रकरणों को पूर्व से आईडेन्टीफाइड कर समझौता राशि निर्धारित की जाये, ताकि उन प्रकरणों को पूर्व में ही सेटल कर लोक अदालत के दिन अधिवक्ता/बीमा कंपनी के अधिकारी को उक्त राशि में समझौता करने हेतु अधिकृत करने के लिये अनुरोध किया जा सकता है। इसके साथ ही तहसील के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समझौता योग्य प्रकरणों को भी जिला मुख्यालयों की प्रीसिटिंग में बुलाया जाकर मुआवजा राशि निर्धारित की जा सकती है।

6. नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से सहयोग करने के लिये अनुरोध किया जाए तथा लोक अदालत के नोटिस तामीली आदि के संबंध में पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जावे।

7. जिला न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त जिले में भू–अर्जन प्रकरण, राजस्व प्रकरण, नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायतों, श्रम विभाग, बैंक, विद्युत विभाग, मोबाइल कंपनियों आदि के प्रकरणों का निराकरण कराने हेतु जिला न्यायाधीश अपने जिले के जिला कलेक्टर को पत्र लिखते हुए जिला कलेक्टर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की बैंठक ले सकते है।

8. अधिवक्तागणों से लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के संबंध में मीटिंग आयोजित कर उनसे सहयोग करने का अनुरोध करना।

9. इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया तथा समाचार पत्रों में माध्यम से लोक अदालत के पूर्व प्रचार–प्रसार एवं समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश देना।

10. नेशनल लोक अदालत में मोटर दावा दुर्घटना के प्रकरणों में अवार्ड राशि शीघ्र पक्षकारों को भुगतान कराने हेतु बीमा कंपनियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करना।

11. चेक वाउन्स प्रकरणों का निराकरण करने के लिये प्रयास करना एवं समुचित निर्देश प्रसारित करना।

12. लोक अदालत में उपस्थित होने वाले पक्षकारगण, बैंक/बीमा/विद्युत मण्डल इत्यादि के अधिकारियों के लिये उचित बैंठक एवं पेय जल व्यवस्था।

13. नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ सादे समारोह में दीप प्रज्जवलित कर किया जाये, कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ मंचासीन हो सकते है।

14. **दिनांक 11 फरवरी 2017** को आयोजित नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों को आइडेंटीफाइड करने की कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारंभ करें एवं कैटेगरीवाइस आइडेंटीफाइड प्रकरणों की जानकारी **दिनांक 05.02.2017** के पूर्व इस प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि नालसा के निर्देशानुसार उक्त नेशनल लोक अदालत के लिए आइडेंटीफाइड किए गए प्रकरणों की जानकारी, नियत समयावधि में माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, नालसा के समक्ष अवलोकन हेतु प्रेषित की जा सकें।

निरंतर..03

नोटः–1. लोक अदालतों में पारदर्शिता लाये जाने हेतु नेशनल लोक अदालत में नालसा की गाईड लाईन अनुसार, केवल उन्हीं प्रकरणों को रखा जावें, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता एवं दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार राजीनामा योग्य हो, ऐसे प्रकरण को नहीं रखे, जो दुरःभिसंधि आदि जैसे अनुचित माध्यमों द्वारा किये गये हो, और न्यायिक उपबंधों को विफल करने वाले हों।

2. लोक अदालतो में प्रकरणों को रखे जाने एवं उन्हें चिन्हित किये जाने के विषय में **13वें अखिल भारतीय सम्मेलन दिनांक 21–22 मार्च, 2015 को रॉची सम्मेलन** में पारित संकल्प आवश्यक रूप से लागू करें:–

➢ पारित संकल्प अनुसार लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों के सिर्फ वास्तविक एवं सही ऑकड़ों की रिर्पोटिंग की जावे।

➢ साथ ही यह भी संकल्प पारित किया गया है, कि पूर्व विवाद प्रकरणों (प्रीलिटिगेशन प्रकरण) के प्रकारों में उन्हीं प्रकरणों को शामिल किया जायेगा, जिनके लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने से तुरंत या भविष्य में पारित होने वाली निष्पादन योग्य डिक्री का निराकरण परिणामित होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुरोध है कि लोक अदालत में निराकृत अभियोजन वापसीवाद, 258 Cr. P.C में स्थगित कार्यवाहियॉ एवं प्लीबारगेनिंग प्रकरणों को पृथक से रिकार्ड रखे जावे, क्योंकि लोक अदालत न्यायाधीश द्वारा उक्त प्रकरणों में आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। यह भी उल्लेख है, कि MNREGA, Voter I-Card, Ration Card इत्यादि विषयक ऑकड़ो को नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों के ऑकड़ों में सम्मिलित न करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (नालसा का पत्र दिनांक 06.01.2017 की छायाप्रति)

sd–
(दिनेश कुमार नायक)
सदस्य सचिव

पृ.क्र.फा.नं.16 / नेश.लोक.अदा / राविसेप्रा / 2544 / 2017 जबलपुर, दिनांक 09 / 01 / 2017

प्रतिलिपि –

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार / सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर।
3. संचालक, न्यायिक अधिकारी, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर।
4. रजिस्ट्रार / सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर।
5. प्रधान न्यायाधीश, समस्त कुटुम्ब न्यायालय, समस्त जिला मध्यप्रदेश।
6. अध्यक्ष, समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, मध्यप्रदेश।
7. पीठासीन अधिकारी, समस्त श्रम न्यायालय, मध्यप्रदेश।
8. समस्त स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट, जबलपुर / भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / खण्डवा / रतलाम।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9.1.17
(दिनेश कुमार नायक)
सदस्य सचिव

NALSA email 07.01.2017

F. No.L/39/2015/NALSA
Dated: 6th January, 2017

To
The Member Secretary
All State Legal Services Authorities.
Sir/Madam,

As approved by Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, National Legal Services Authority, National Lok Adalats will be held once in two months in this year and the first National Lok Adalat shall be held on 11thFebruary, 2017 on all subject matters. His Lordship has also directed that vide publicity of the National Lok Adalats, including advertisement in Newspapers, shall be given by the State Legal Services Authorities.

2. The preparatory work to hold the National Lok Adalat may start immediately to have a successful Lok Adalat.

3. The following types of cases (pre-litigation and pending) may be taken up for settlement in the aforesaid National Lok Adalat:

(i) Criminal Compoundable Offence
(ii) NI Act cases under Section 138;
(iii) Bank Recovery cases;
(iv) MACT cases;
(v) Matrimonial disputes;
(vi) Labour disputes cases;
(vii) Land Acquisition cases;
(viii) Electricity and Water Bills (excluding theft cases); Services matters relating to pay and allowances and retiral benefits;
(ix) Revenue cases;
(x) Other civil cases (rent, easmentary rights, injunction suits, specific performance suits)etc.;
(xi) Other cases (please specified)

4. You are also requested to inform us the number of cases identified (category wise) for placing before the aforesaid National Lok Adalats on or before 05.02.2017. Needless to say, there is no impediment to taking up of more cases by the SLSAs in the Lok Adalats on the scheduled date and the above information is required only for perusal by the Hon'ble Executive Chairman,

With regards,
Yours sincerely,

Alok Agarwal
Member Secretary
National Legal Services Authority
(O): 011-23385321/23382778
(F): 011-23382121

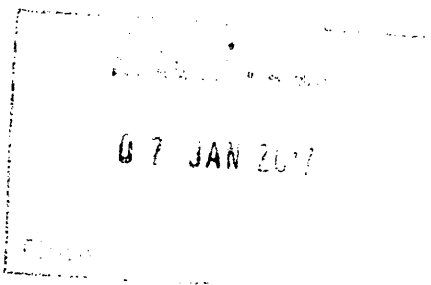

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,
(574, South Civil Lines, Pachpedi, Jabalpur, 482001)
Off. Ph. 0761-2678352, E-mail:-mplsajab@nic.in, Fax:-0761-2678537

F.No.16 /NLA/SLSA/ 2545 **/2017** **Jabalpur, Dtd. 09th Jan. 2017**

To,

Registrar General,
High Court of Madhya Pradesh,
Jabalpur

Sub: Regarding National Lok Adalat Scheduled to be held on Year 2017.

Ref: NALSA E-mail Letter F.No.L/39/2015/ NALSA dated 06.01.2017.

Respected Sir,

On the aforementioned subject under reference, it is to inform that as per direction of Hon'ble Executive Chairman, National Legal Services Authority, New Delhi, **National Lok Adalats will be held once in two months in this year and the first National Lok Adalat shall be held on 11th February, 2017 on all subject matters.** The Member Secretary, National Legal Services Authority has informed that this National Lok Adalat is to be conducted at all levels right from the "Taluk level court to Supreme Court". (Please refer E-mail dated 06.01.2017 of Member Secretary, NALSA)

Therefore, You are requested to kindly issue necessary directions to all District Judges/Chairman DLSA's, all Principal Judge Family Courts and other Special Courts across the State of M.P. to participate actively and settle maximum number of cases in forthcoming National Lok Adalat.

Direction may also be issued to the effect that information be supplied to MPSLSA before 03.02.2017 as to the number of cases identified for National Lok Adalat.

With regards,

5.1.17

Encl: As above.

(Dinesh Kumar Naik)
Member Secretary

4347

Conti..02

F.No.16 /NLA/SLSA/ /2017 Jabalpur, Dtd. 09th Jan. 2017

Copy to:

1. Principal Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Benches, at Indore & Gwalior for kind information and necessary action.
2. Registrar cum Secretary, High Court Legal Services Committee, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for kind information and necessary action.
3. All District Judges/Chairman, District Legal Services Authorities, M.P. for kind information and necessary action.

Sd/-
(Dinesh Kumar Naik)
Member Secretary